उदारीकरण के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश

1088. **श्री राम जेठ मलानी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदार औद्योगिक नीति अपनाने के बाद देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 3000 करोड़ रुपए की पूंजी के निवेश का पूर्वानुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1993 तक देश में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल कितनी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी जा चुकी है और उक्त अवधि के दौरान परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वास्तव में कितनी पूंजी का निवेश किया गया; और

(ग) शेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या अंतिम तिथि निर्धारित की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) जुलाई 1991 में औद्योगिक नीति उदार बनाये जाने के पश्चात् विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए मार्च 1993 तक 2042 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 33,222 करोड़ रुपये का निवेश निहित है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण और गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर में करीब 4300 रुपये के निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इनमें, संयुक्त उद्यम वाले निर्यातोन्मुखी यूनिट, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले यूनिट, अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी कार्पोरेट निकायों के निवेश वाले यूनिट और वे यूनिट शामिल हैं जिनके लिए योजना सहायता की व्यवस्था की गई है। इन परियोजनाओं की स्थापना में लगने वाला समय अलग-अलग होता है और औसतन यह समय करीब 2 वर्ष होता है।

Infection of HIV (AIDS) in Arunachal Pradesh

1089. SHRI NYODEK YONGGAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether any case of AIDs or HIV has been detected in Arunachal Pradesh in the recent months; and

(b) if so, what steps are taken by Government to prevent the spread of such dreaded disease in the state ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) No, Sir.

(b) Under the Centrally Sponsored Scheme for the prevention and control of AIDs being implemented in the Country through the States/Union Territories, a sum of Rs. 20.63 lakh have been released to the Government of Arunachal Pradesh. The strategies of the Programme consist of generating awareness leading to avoidance of high risk behaviour through Information, Education, Communication, Blood Safety and rational use of blood, Control of Sexually Transmitted Diseases and better clinical management of AIDS Cases.

Compensation to the Victims of Food Adulteration

1090. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prevention of Food Adulteration Act, 1954 has no provision for the victims of food adulteration; and

(b) if so, what steps are being taken to provide any relief to the victims of food adulteration ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) and (b) An aggrieved purchaser may file a